मुख्य अभियन्ता,

कृपया मा0 मुख्य मंत्री जी के द्वारा की गई घोषणाओं के अन्तर्गत वदेव्यासपुरी आवासीय योजना में 7.5 एकड भूमि में आई.टी. पार्क विकसित किया जाना प्रस्तावित है। जिसका जी.सी. 30 प्रतिशत तथा एफ0ए0आर0 3 को आधार मानते हुए विद्युत भार की गणना की गई जिसके अनुसार कुल 18 एम0वी0ए0 विद्युत भार आता है यह भी अवगत कराना है कि वेदव्यासपुरी योजना का कुल विद्युत भार 63 एम0वी0ए0 आता है जिसके विरूद्ध में 10 एम0वी0ए0 क्षमता का एक नं0 33/11 के0वी0 सब स्टेशन का निर्माण प्राधिकरण द्वारा किया गया है।

प्रस्तावित आई0टी0पार्क हेतु उ0प्र0 पॉवर कार्पोरेशन लि0 को पत्रांक 1001/ई.ई. 2/विद्युत दिनांक 06-08-2013 प्रेषित किया गया। जिसके क्रम में पॉवर कार्पोरेशन विभाग द्वारा अपने पत्र सं0 4734/वि0वि0ख0-तृतीय/मेरठ दिनांक 01-11-2013 द्वारा 10 एम0वी0ए0 विद्युत भार को 132 के0वी0 विद्युत सबस्टेशन परतापुर से जोडने की सहमति प्रदान की गई है। यह भी अवगत कराना है कि वेदव्यासपुरी योजना में आई0टी0पार्क के लिए प्रस्तावित 33/11 के0वी0 सबस्टेशन हेतु मुख्य अभियन्ता/नगर नियोजक द्वारा अपने पत्र सं0 24/293 दिनांक 05-09-2013 द्वारा संशोधित/अनुमोदित तलपट मानचित्र की प्रति भेजी गयी है, जिसकी स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 02-09-2013 को प्रदान की गई है। (दांयी ओर संलग्न है।)

उपरोक्तानुसार वेदव्यासपुरी योजना में आई0टी0पार्क हेतु 33/11 के0वी0 (2X5 एम0वी0ए0) सबस्टेशन, 33 के0वी0 लाईन तथा सिविल निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित किया गया है। उक्त कार्य हेतु धनांक रू0 5,48,05,525.39 का व्ययानुमान लाईन डाईग्राम के साथ दांयी ओर संलग्न है। जिसमें 1 प्रतिशत लेवर सेस तथा 3 प्रतिशत केन्टीजेन्सी भी सम्मिलित करने पर कुल व्ययानुमान धनांक रू0 5,69,97,746.40 हो जाता है।

वर्तमान में मेरठ विकास प्राधिकरण के विद्युत अनुभाग में जो अभियन्ता तैनात है, मात्र अवर अभियन्ता स्तर के स्टाफ ही विद्युत कार्यो के सम्पादन में तकनीकी योग्यता रखते है, वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर वर्तमान में कोई भी विद्युत कार्यो का तकनीकी योग्यता रखने वाला स्टाफ तैनात नहीं है। उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 की विद्युत ईकाई जे0पी0 नगर/मेरठ में विद्युत कार्यो में तकनीकी योग्यता रखने वाले स्टाफ तैनात है तथा पॉवर कारपोरेशन एवं बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण व मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण में प्रस्तावित कई विद्युत कार्यो को सम्पादित किया जा रहा है तथा वर्तमान में मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ द्वारा माह जनवरी 2013 में भी निक्षेप कार्य (डिपोजिट वर्क) के रूप में हस्तान्तरित किये गये कार्यो को समयबद्ध प्रगति के साथ किया जा रहा है।

उपरोक्त कार्यो के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम इकाई जे.पी. नगर/मेरठ द्वारा अपने पत्र संख्या 6937/आर.एन.एन./वि./मेरठ/2014 दिनांक 22-01-2014 (पताका 'क') जो कि उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अधोहस्ताक्षरित को पृष्ठान्कित है, में यह अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन एवं बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण द्वारा भी विद्युत सम्बन्धी कई कार्य निर्माण निगम को निक्षेपित कार्य (डिपोजिट वर्क) के रूप में राजकीय निर्माण निगम विद्युत इकाई जे.पी.नगर/मेरठ को कार्य हस्तान्तरित किये

Photocopy Attested
13/8/15
सहायक अभियन्ता-विद्युत
मेरठ विकास प्राधिकरण

गये हैं। कार्य आदेश दांयी ओर पत्र संख्या 6937/आर.एन.एन./वि./मेरठ/2014 दिनांक 22-01-2014 के साथ संलग्न हैं तथा उसी आधार पर मेरठ विकास प्राधिकरण में 33/11 के0वी0 सबस्टेशन के निर्माण कार्य करने की जिज्ञासा व्यक्त की गयी है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस सम्बन्ध में पूर्व में राजकीय निर्माण निगम विद्युत इकाई से अन्य जानकारियॉ प्राप्त की गयी थी। इस सम्बन्ध में **निर्माण निगम (विद्युत इकाई)** ने अपने पत्र (सं0 6060/आर.एन.एन./वि./मेरठ/2013 दिनांक 03-01-2013 दांयी ओर संलग्न है) द्वारा **प्राधिकरण की स्वीकृत बी0ओ0क्यू0 दरों पर कार्य करने** के साथ-साथ 5 प्रतिशत सेन्टेज चार्जेज व 1 प्रतिशत लेबर सेस की अतिरिक्त मांग तथा कुल लागत का 40 प्रतिशत मोबिलाईजेशन धनराशि की अग्रिम मांग करते हुये कार्य करने का प्रस्ताव दिया गया था।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राजकीय निर्माण निगम द्वारा पूर्व में आवंटित गंगा नगर, वेदव्यासपुरी, शताब्दीनगर, सैनिक विहार, लोहियानगर व पल्लवपुरम मेरठ में 33/11 के.वी. सब स्टेशन एंव 33 के.वी. 11 के.वी. विद्युत लाईनों के प्राधिकरण के कार्य कराकर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन विभाग को हस्तान्तरित किये जा चुके हैं जो सफलता पूर्वक कार्य कर रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि शासन के शासनादेश संख्या ई-8-1053/दस-10-89/2004 दिनांक 30-अगस्त-2010 (पताका 'ख') से शासकीय निर्माण कार्यो के सम्पादन के सम्बन्ध में तथा निर्माण एजेन्सी के चयन के सम्बन्ध में रू0 2.50 करोड से अधिक एवं रू0 10.00 करोड तक की लागत के कार्य राजकीय निर्माण निगम व लोक निर्माण विभाग द्वारा ही निक्षेप कार्य (डिपोजिट वर्क) के रूप में ही कराये जाने को वरियता दी गयी है।

विद्युत अनुभाग में तकनीकी स्टाफ की कमी होने के कारण कार्यहित में यह कार्य शासकीय उपक्रम उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण विद्युत इकाई जे0पी0नगर/मेरठ को प्राधिकरण की स्वीकृत बी0ओ0क्यू0 दरों पर 5 प्रतिशत सेन्टेज चार्जेज व 1 प्रतिशत लेबर सेस के अतिरिक्त मांग तथा कुल लागत का 40 प्रतिशत मोबिलाईजेशन धनराशि की अग्रिम के स्थान पर पूर्व की भॉति 20 प्रतिशत मोबिलाईजेशन धनराशि की अग्रिम के प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित विद्युत सम्बन्धी कार्य शासकीय उपक्रम उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को निक्षेप कार्य (डिपोजिट वर्क) के रूप में हस्तानान्तरित करने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है:-

1-	वेदव्यासपुरी योजना में 33 के.वी./11के.वी.विद्युत सब-स्टेशन नं0 2 कार्य हेतु	रू0 2,84,98,130.00
2-	वेदव्यासपुरी योजना में 33 के.वी. एवं 11 के0वी0 विद्युत लाईन के कार्य हेतु	रू0 2,41,53,820.50
3-	वेदव्यासपुरी योजना में 33 के.वी./11के.वी.विद्युत सब-स्टेशन न0-2 हेतु सिविल कार्य	रू0 21,53,574.89
	कुल	रू0 5,48,05,525.39

5 प्रतिशत सेन्टेज चार्जेज व 1 प्रतिशत लेबर सेस सम्मिलित करते हुए कुल व्ययानुमान धनांक रू0 5,80,93,856.91 का हो जाता है।

Photocopy Attested
13/02/15
सहायक अभियन्ता-विद्युत
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

अतः उपरोक्तानुसार वर्णित विद्युत सम्बन्धी कार्य उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 विद्युत इकाई, जे0पी0नगर/मेरठ से निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन, हस्तान्तरित किया जाना प्रस्तावित है।

1– कार्य प्रारम्भ कराये जाने से पूर्व, यू0पी0आर0एन0एन0 को अनुबन्ध निष्पादित कराना होगा तथा अनुबन्ध निष्पादन व कार्य करने के लिये सक्षम स्तर से अधिकृत पत्र (Authority Letter) प्रस्तुत करना होगा एवं समस्त कार्यो को उ0प्र0 पॉवर कारपोरेशन लि0 से अनुमोदित ड्राईंग, डिजाईन/विशिष्टियों के अनुसार कराना होगा।

2– समस्त कार्यो को, कार्य आवंटित किये जाने की तिथि के सात माह के अन्दर, गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण कराना होगा।

3– आपूर्ति किये गये समस्त विद्युत उपकरणों एवं आगणन में प्रस्तावित किये गये विभिन्न मदों के सामग्रियों का परीक्षण, उ0प्र0 पॉवर कारपोरेशन लि0 से निर्माण निगम द्वारा कराया जायेगा।

4– कार्य में कोई दर वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5– कार्य के आगणन में प्रस्तावित विभिन्न मदों की मात्राओं एवं डिजाईन में परिवर्तन/विचलन हो सकता है जिसे यू0पी0आर0एन0एन0 द्वारा आगणित/वर्तमान विभागीय दरों पर कराना होगा, जिसके लिये कोई अतिरिक्त क्लेम मान्य नहीं होगा।

6– कृत कार्य का समय–समय पर भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण किया जायेगा।

7– कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त यू0पी0आर0एन0एन0 द्वारा उ0प्र0 पॉवर कारपोरेशन लि0/ नगर निगम, मेरठ को स्वयं, समस्त कार्य हस्तांतरण कराना होगा, जिसके पश्चात ही, कार्य का अन्तिम भुगतान प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

8– कार्य की गुणवत्ता/प्रगति सन्तोषजनक न पाये जाने पर, निष्पादित अनुबन्ध निरस्त करते हुये, नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

9– उ0प्र0पॉवर कारपोरेशन लि0/नगर निगम, मेरठ को कार्य हस्तांतरण तक, स्थल पर किसी भी चोरी/क्षति को रोकने का पूर्ण, दायित्व, यू0पी0आर0एन0एन0 का होगा।

10– उ0प्र0पॉवर कारपोरेशन लि0 को कार्य हस्तांतरण के समय, देय सुपरवीजन चार्ज की धनराशि का भुगतान, प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

11– यू0पी0आर0एन0एन0 को 05 प्रतिशत की दर से सेन्टेज चार्जेज व 1 प्रतिशत सेस चार्जेज देय होगा।

12– सर्विस टैक्स, वेट एवं आयकर के भुगतान की जिम्मेदारी उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम की होगी।

13– कार्य के भुगतान बिलों से 05 प्रतिशत की दर से जमानत राशि की कटौती की जायेगी, जिसे उक्त कार्यो को उ0प्र0 पॉवर कारपोरेशन लि0/नगर निगम, मेरठ को हस्तांतरण करने के पश्चात अवमुक्त किया जायेगा।

14– इस प्रकरण में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो, उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।

Attested Copy

PHOTO COPY ATTESTED

Asstt. Engineer Electrical

सहायक अभियन्ता-विद्युत
मैरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

15– कार्य प्रारम्भ से पूर्व समस्त कार्यो के ड्राईग/डिजाईन/अनापत्ति प्रपत्र सम्बन्धित विभाग से प्राप्त करने का समस्त दायित्व उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, का होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार, निम्न. स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें:–

1– उक्त कार्यो को, उपरोक्त शर्तो के अधीन, शासकीय उपकम उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, विद्युत इकाई, जे0पी0 नगर/मेरठ से कराये जाने के प्रस्ताव एवं प्रतिबन्धों का अनुमोदन।

2– गत पृष्ठ 06 पर प्रभारी मानचित्र की टिप्पणी के अनुसार नीलकंठ, हैवेन्स कालोनी, द्वारिका हाईट्स ग्रुप हाउसिंग, नीलकंठ आशियाना ग्रुप हाउसिंग, वाम रिर्जोट आदि के मानचित्र स्वीकृत किये जा चुके है। इन कालोनियों व अन्य में भी उक्त सबस्टेशन से विद्युत आपूर्ति दी जानी सम्भव होगी है। जिनसे मिलने वाले वाह्य विकास शुल्क मद से उक्त कार्य कराया जाना प्रस्तावित. है। अतः संशोधित आगणन कार्य हेतु धनांक रू0 5,80,93,856.91 (रू0 पॉच करोड अस्सी लाख तिरानवें हजार आठ सौ छप्पन रूपये इक्यानवें पैसे मात्र) की तकनीकी, वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति के साथ–साथ उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के अनुरोध के कम में फिलहाल इनके पक्ष में 20 प्रतिशत पूर्व की भॉति अग्रिम धनराशि (मोबिलाईजेशन अग्रिम) अर्थात रू0 1,16,18,771.00 (रू0 एक करोड सौलह लाख अट्ठारह हजार सात सौ इकहत्तर रूपये मात्र) का भुगतान किये जाने की स्वीकृति, इस अग्रिम धनराशि का समायोजन, भुगतान की तिथि से दो माह के अन्दर प्रस्तुत करना होगा। उक्त धनराशि के समायोजन के पश्चात, इनके कार्य की प्रगति को दृष्टिगत रखते हुये आवश्यकतानुसार समय–समय पर भुगतान किया जायेगा।

25/01/2014
06/02/14
(शबीह हैदर)
अधिशासी अभियन्ता

सचिव / उपाध्यक्ष

FC बजट आदि
0140(310) 27/11/14
7/2/14

Attested Copy
13/2/15
सहायक अभियन्ता-विद्युत
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

FC

07/02/2014

निर्देश, बजट उपलब्ध होने पर ... Send letter to UPRNN.

07/02/2014
सचिव एवं उपाध्यक्ष महोदय
7/2/14

सं० ३०५०/१४–ख—२०(११२)–७१—विज्ञप्ति सं० २३(३)–४१/१४–ख–६८, दिनांक ६ सितम्बर, १९६८ ई० द्वारा संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि को इण्डियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ ई० (ऐक्ट संख्या १६, १९२७) के अधीन रक्षित वन बनाने का प्रस्ताव किया गया था;

और, उक्त भूमि में अधिकारों के दावों को प्रस्तुत करने के लिए उक्त ऐक्ट के द्वारा निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गयी है;

और, ऐसे कोई दावे स्वीकार नहीं किए गये हैं;

अतएव, अब उक्त ऐक्ट की धारा २० के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके, राज्यपाल दिनांक ३१ अक्तूबर, १९७१ ई० से उक्त भूमि को रक्षित वन घोषित करते हैं :

अनुसूची

वन ब्लाक—रिठानी ब्लाक

जिला	तहसील	परगना	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८
					बी० बि० बि०	(एकड़ में)	
मेरठ	मेरठ	मेरठ	रिठानी	५११	५ १५ ०	५००.००	निम्नलिखित ख०प० नं० वन सीमा में सम्मिलित नहीं है :
				४१२	३ ८ ०		
				४१४	२२ ० ०		
				४१६	० ४ ०		कृषि चक नं० १—ख० प० नं० ४१५
				४१७	० ४		चक नं० २—ख० प० नं० ४३२–मि०।
				४१८	१० ११ ०		,, ३ ,, ,, ४४२
				४१९	७ ९ ०		,, ४ ,, ८९४–मि०
				४३२	० १७ ०		,, ५ ,, ७४९–मि०
				४३३	४ १८ ०		,, ६ ,, १०२२–मि०
				४३६	९ १० ०		,, ७ ,, १२३१–मि०
				४४१	१ ८ ०		,, ८ ,, १०६५
				४४३	१२ १३ ०		,, ९ ,, २८२, २८३, २८४, २८५, २८६, २८८ व २८९।
				७२४	११ १५ ०		
				७४१	२४ १७ ०		,, १० ,, २६४, २६५, २६६, २६७, २६८, २६९, २७०, २५८, २५७, २५९ व २६०।
				७४९	१ २ ०		
				७५०	३ ७ ०		
				७५४	८ २ ०		
				७६७	४ १७ ०		,, ११ ,, २५४ व २५५।
				८२१	२ ८ ०		
				८३२	१३ २ ०		,, १२ ,, २२९, २३०।
				८३३	१० १ ०		,, १३ ,, २७२
				८३५	७ १७ ०		,, १४ ,, २२३, २२४।
				८३७	८ २ ०		,, १५ ,, २९१, २८७–मि०।
				८७८	१४ ९ ०		,, १६ ,, १०८८
				८८४	१ ६ ०		,, १७ ,, २५, २६, २७, २८ व २९।
				८८५	० ४ ०		,, १८ ,, ३५
				८८६	३ ६ ०		,, १९ ,, ३३, ३४–भाग
				८८९	२ ८ ०		,, २० ,, ४२५।
				८९०	८ १२ ०		

१	२	३	४	५	६	७	८
मेरठ	मेरठ	मेरठ	रिठानी		बी०बि०बि०		
				८९१	० १२ ०		चक नं० २१, ख० प०
				८९४	३ २ ०		नं० ९१५।
				८९६	१ ७ ०		चक नं० २२, ख० प०
				९१३	० ६ ०		नं० ९३३ भाग।
				९१४	३ १ ०		चक नं० २३, ख० प०
				९१६	१ २ ०		नं० ५१७।
				९१७	० १० ०		पानी की नालियाँ
				९५८	२ ८ ०		जिनके ख० प० नं०
				१०११	१२ १ ०		निम्नलिखित हैं वह
				१०१२	० १० ०		वन विभाग की सीमा
				१०१६	२ ११ ०		में सम्मिलित नहीं हैं
				१०१८	१० ० ०		ख० प० नं० २, ३१,
				१०२१	२८ ६ ०		१०३, ११७, ४१३,
				१०२२	४८ १६ ०		५४४, ८३०, १०१९,
				१०२५	१७ १० ०		१०२० व १०२३।
				१२३०	१९ ० ०		
				१२३१	४३ ८ ०		
				११०९	३२ ३ ०		
				१११८	३२ ४ ०		
				११४२/१	१९ १५ ०		
				९७६	२ ५ ०		
				९८४	० ११ ०		
				१०३०	५० १९ ०		
				१०३१	१७ १४ ०		
				१०३९	१ ६ ०		
				१०६४	० ११ ०		
				२४१	५ १२ ०		
				१०९८	९ १८ ०		
				१०९९	१९ २ ०		
				१३४	० १७ ०		
				१३५	० ८ ०		
				१६०	० ७ ०		
				१६२	८ ७ ०		
				१६६	० ५ ०		
				१७१	७ ३ ०		
				१७३	० १० ०		
				२२२	३ ६ ०		
				२२५	५ १९ ०		
				२२८	२ ३ ०		
				२३१	५ ८ ०		
				२५३	५ ११ ०		
				२५६	० ३ ०		
				२७१	० १३ ०		
				२७३	० ९ ०		
				२७४	० १८ ०		
				२७५	० ६ ०		
				२७६	० १५ ०		
				२८१	३ ३ ०		
				२६१	० १० ०		
				२६३	१ ० ०		
				२८७	१६ १० ०		
				२९०	१ १८ ०		

१	२	३	४	५	६	७	८
						बी० बि० बि०	
मेरठ	मेरठ	मेरठ	रिठानी		२९२	० १६ ०	
					१०८७	० ९ ०	
					१०८९	१७ ६ ०	
					१	० १७ ०	
					३	२ १३ ०	
					८	३ ४ ०	
					१५	१ ९ ०	
					१७	३ ६ ०	
					१९	१ १५ ०	
					२२	० ४ ०	
					२४	२ ० ०	
					३०	१ ६ ०	
					३२	३ ३ ०	
					३४	१ ५ ०	
					३६	० ११ ०	
					३९	० १६ ०	
					४५	० ६ ०	
					४९	५ १० ०	
					६०	३ ३ ०	
					६३	० ३ ०	
					१०५	८ १८ ०	
					१०६	३ १० ०	
					१०७	३ १ ०	
					१०९	४ १२ ०	
					१२१	६ १३ ०	
					१२४	१ १० ०	
					४२४	० १७ ०	
					४२६	५ ९ ०	
					४५०	२ ५ ०	
					३८१	२ ० ०	
					५१४	० १२ ०	
					५१६	१ १२ ०	
					५१८	० १२ ०	
					५१२	० ५ ०	
					५३२	० ११ ०	
					५२८	४ ० ०	
					८९९	२ ७ ०	
					९०२	१ ० ०	
					८०४	१ १४ ०	
					८०६	३ ० ०	
					८००	४ २ ०	
					८२५	२ १ ०	
					११८७	२ ० ०	
					११७९	० १९ ०	
					११८३	१ १ ०	
					११२८	० १५ ०	
					११३०	१ १ ०	
					११५९	१ १० ०	
					११५१	० ९ ०	
					२४४	० ३ ०	
					२४६	० १४ ०	
					२३७	१ १३ ०	
					२३८	० १३ ०	

१	२	३	४	५	६	७	८
मेरठ	मेरठ	मेरठ	रिठानी		बी० बि० बि०		
				२३९	१ १६ ०		
				१९०	० ६ ०		
				१८७	० १५ ०		
				१८४	० ४ ०		
				१८२	१ १३ ०		
				९४	० १५ ०		
				९५	० १७ ०		
				१५८	० ९ ०		
				९६	० १६ ०		
				१५३	० ८ ०		
				१४६	१ १ ०		
				१४८	० ८ ०		
				१४३	० ३ ०		
				१४१	० ४ ०		
				१३०	१ ६ ०		
				१२८	० ४ ०		
				१२६	० ७ ०		
				११२	० १५ ०		
				६६	० २ ०		
				८४	३ १५ ०		
				७३	१ ११ ०		
				७८	१ १८ ०		
				८०	० ५ ०		
				९०	० ५ ०		
				९१	० १७ ०		
			योग ..		८०० २ ० या ५००.०० एकड़		

सीमा वर्णन

वन सीमा वद्ध तालिका ग्राम/वन ब्लाक रिठानी ब्लाक

स्तम्भ-संख्या	स्तम्भ की स्थिति	अगले स्तम्भ की अनुमानित दिशा	अगले स्तम्भ का अनुमानित चुम्बकीय कोण		अगले स्तम्भ की नापी गई अनुमानित दूरी (जरीबों में)	अगले स्तम्भ तक की सीमा की दशा	विशेष विवरण
			अग्रिम	पार्श्व			
१	२	३	४	५	६	७	८
१	खसरा प्लाट नं० ३००, ३३० व ४१८ के कोने पर स्थित है	द० पू० पू०	१२३.००	३०३.००	८.६०	सीधी रेखा	
२	खसरा प्लाट नं० ३३०, ३३१ व ४१८ के कोने पर स्थित है	द० प० द०	२१४.००	३४.००	०.४०	,,	
३	खसरा प्लाट नं० ३३१ व ४१८ के कोने पर स्थित	द० पू० पू०	११७.००	२९७.००	२.४०	,,	
४	खसरा प्लाट सं० ३३१ व ४१४ की मेंड़ पर स्थित है	द० पू० पू०	९६.००	२७६.००	१.०४	,,	
५	खसरा प्लाट नं० ३३१ व ४१४ के कोने पर स्थित है	उ० पू० उ०	४१.००	२२१.००	०.९०	,,	
६	खसरा प्लाट नं० ३३१, ३३२ व ४१४ के कोने पर स्थित है	द० पू० पू०	१३४.००	३१४.००	७.२०	,,	

संलग्नक:—

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ द्वारा जनपद मेरठ के अन्तर्गत परतापुर 132 के0वी0 के उपकेन्द्र से वेद व्यासपुरी आवासीय कॉलोनी निर्माणाधीन आई0टी0 पार्क में 33/11 के0वी0 के उपकेन्द्र को उर्जीकृत हेतु भूमिगत् विद्युत लाईन/केबिल बिछाने के लिये रिठानी वन ब्लाक की आरक्षित वनभूमि का विवरण :—

क्र0 सं0	स्थल का नाम	प्रयोजन	लम्बाई (मी0में)	चौड़ाई (मी0में)	क्षेत्रफल (व0 मी0 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	रिठानी वन ब्लाक के खसरा न0 241, 275, 276, 281 व 1089 की आरक्षित वनभूमि	भूमिगत् विद्युत लाईन/केबिल बिछाने हेतु	440	0.50	220	आरक्षित वनभूमि
योग—					**220 व0 मी0 या 0.022 है0**	आरक्षित वनभूमि

JE(E)
सतीश कुमार
अवर अभियन्ता (वि)

AE
ए०पी०सिंह
सहायक अभियन्ता-विद्युत
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

Y.P.
पी०एस० मिश्रा
योजना प्रभारी-विद्युत
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

(सौम्य श्रीवास्तव)
सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण

S.E.
(ए०पी० सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता

C.E.
(एस०सी० मिश्र)
मुख्य अभियन्ता